फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (सिरोही)

ढाणी ढाकसिंह वाली से ढाणी कान्तावाली तक

किस्म मुकदमा धारा 131, 132 मु0नं0 38 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.03.2024	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से गै.मु.रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर समस्त खातेदारान को जरिये सम्मन / रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 2. 04.2024 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	
26/3/24	पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना मे तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 1592 दिनांक 14.03.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग मे आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम **सिरोही** पटवार मण्डल **सिरोही** तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर **181, 185, 3029 / 187** मे गुजरने वाला रास्ता **ढाणी ढाकसिंह वाली से ढाणी कान्तावाली तक का** प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटो ग्राफ सलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं जॉच करने के पश्चात राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर ... रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न ... नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिये ... रास्ता ... खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा ... गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें नक्शे में तरमीम की जावें। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव	

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:11:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

2024/387

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (सिरोही)

मुख्य सड़क से ढाणी रूपाकलां की तरफ
...पीएमएस नं.

नम्ब
अह की में

व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में [illegible] दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:11:44 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner